

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिसांसिबिलिटी है

योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर !

'इस वीडियो ने अंतरात्मा को झकझोर दिया'

■ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को फटकारा

■ जिनके घर गिराए उनको देना होगा 10 लाख का मुआवजा

एजेंसी | नई दिल्ली

इस प्रतीकात्मक तस्वीर का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। बुलडोजर एक आशियाने को रौंद रहा था और एक बच्ची उस टूट रही झोपड़ी से अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। यह अन्याय इतिहास में सबसे सियाह शब्दों में दर्ज हो चुका है। अब इस वीडियो ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को अंदर तक हिला दिया।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्राधिकरण (PDA) को पांच याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने अपनी

टिप्पणी में कहा कि अफसरों में संवेदनशीलता नहीं है। ये मकान कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराए गए थे। इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा हिला दी है। घरों पर बुलडोजर चलने की ये घटना 2021 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के तहत नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन माना। कोर्ट ने कहा कि नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर घर गिराने की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी। कोर्ट ने इसे समाज में गलत संदेश फैलाने वाली और कानून के शासन के खिलाफ कार्रवाई करार दिया।

ढहती झोपड़ी से भाग रही बच्ची के वीडियो का दिया हवाला

जस्टिस अभय ओका और जस्टिस पन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मुआवजा प्रभावितों को राहत देने के साथ साथ सरकार को भविष्य में इस तरह की मनमानी रोकने के लिए भी है। फैसले के दौरान कोर्ट ने हाल में वायरल एक वीडियो का हवाला भी दिया। इस वीडियो में बुलडोजर एक्शन के दौरान एक बच्ची अपनी किताबें लेकर ढहती झोपड़ी से भागती दिख रही है। कोर्ट ने इसे अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया।

15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य

कोर्ट ने पहले के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया जिसमें किसी संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर घर दोबारा बनाने की अनुमति दी लेकिन कहा कि अगर उनकी अपील खारिज होती है तो उन्हें निर्माण हटाना होगा।

वक्त बिल पर सदन में तकरार तय



नई दिल्ली। विपक्षी दलों इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को संसद में वक्त (संशोधन) विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर गठबंधन के नेताओं ने अहम बैठक की और तय किया कि इस बिल का हर स्तर पर कड़ा विरोध किया जाएगा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे इस बिल को असंवैधानिक मानते हैं और इसे किसी भी हाल में पारित नहीं होने देंगे।

कुणाल कामरा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत

चेन्नई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना उनका नाम लिए व्यंग्य करने के बाद विवादों में घिरे स्टैंडअप कर्मीडियन कुणाल कामरा को तमिलनाडु के वन में जिला मजिस्ट्रेट-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। कामरा ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। यह उस क्षेत्राधिकार से अलग क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है, जहां एफआईआर दर्ज की गई है।

महंगाई का डोज संक्रमण, मधुमेह की बीमारी समेत 900 दवाइयों के दाम बढ़े

नई दिल्ली। देश में 1 अप्रैल से गंभीर संक्रमण, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों की दवाइयों के दाम बढ़ गए। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने मंगलवार से 900 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक, प्राधिकरण ने कीमतों में 1.74 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की। इन दवाइयों के महंगी होने का असर आम नागरिकों पर पड़ने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अधिकतम कीमत क्रमशः 11.87 और 23.98 रुपये टैबलेट होगी। वहीं एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलैनिक एसिड वाले ड्राई सिरप की कीमत 2.09 रुपये तय की गई है। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की कीमत 6.47 रुपये से बढ़कर 14.04 रुपये होगी। दर्द में खाई जाने वाली दवा डाइक्लोफेनोक की अधिकतम कीमत अब 2.09 रुपये प्रति टैबलेट होगी। दरअसल, दवा निर्माता डब्ल्यूपीआई के आधार पर अधिकतम खुराक कीमतें बढ़ा सकते हैं और इसके लिए केंद्र की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दौड़ेंगी बाइक टैक्सी

▶▶ बाइक टैक्सी नीति को दी अपनी मंजूरी

▶▶ फडणवीस कैबिनेट में लिया गया निर्णय

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई और इससे सटे ठाणे समेत दूसरे तमाम शहरों के साथ राज्य में अब 'बाइक टैक्सी' दौड़ेंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 'बाइक टैक्सी' चलाने को स्वीकृति दे दी गई। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बाइक टैक्सी नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब परिवहन के इस नए किफायती विकल्प के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।



बाइक टैक्सी सिर्फ 20 से 50 वर्ष की आयु के चालक ही चला सकेंगे। इसके अलावा, महिला यात्रियों को महिला चालक चुनने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अकेले मुंबई में ही दस हजार से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। प्रताप सरनाईक ने विश्वास व्यक्त किया कि

बाइक पूलिंग को स्वीकृति

राज्य सरकार ने सड़क पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए, सरकार ने निजी दोपहिया वाहनों के लिए बाइक-पूलिंग के विकल्प को भी मंजूरी दी है। इन वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, वैध परमिट और बीमा अनिवार्य होगा। बाइक टैक्सी किराया दरें संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

कौन चला पाएगा?

सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अकेले मुंबई में ही दस हजार से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। प्रताप सरनाईक ने विश्वास व्यक्त किया कि

कम खर्च में पूरा होगा सफर

बाइक टैक्सी सेवा से कम खर्च में सुगम यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति के तहत, केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी परिवहन सेवा में शामिल की जाएगी। यह योजना नागरिकों को सस्ता परिवहन विकल्प और 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' प्रदान करेगी। इसके साथ ही, यह शहरों में प्रदूषण और यातायात जाम को कम करने में मदद करेगी और यात्रा का समय घटेगा। साथ ही, नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

किराना दुकानों को राहत अब 24 घंटे खुले रह सकती हैं किराना दुकानें

किराना दुकानों को 24 घंटे खुले रखने से नहीं रोकता कानून : कोर्ट

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 24 घंटे खुली रहने वाली किराना दुकानों को ग्राहकों और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद करार देते हुए कहा कि कानून के तहत इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया कि वह किसी भी सुविधा स्टोर को रात 11 बजे तक बंद करने के लिए बाध्य न करे।



डांस बार और हुक्का बार पर लागू होते हैं प्रतिबंध

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि 24x7 सुविधा स्टोर की अवधारणा दुनियाभर में लोकप्रिय है और इससे उपभोक्ताओं को खरीदारी में सहूलियत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनके काम के

स्पेशल स्टोरी जंगल की जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध नजर

- ▶▶ दिल्ली, सिक्किम और गोवा के बराबर जंगलों पर अवैध कब्जा
- ▶▶ 25 राज्यों में अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र
- ▶▶ 13 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल अतिक्रमण की जद में

एजेंसी | नई दिल्ली

देश में दिल्ली, सिक्किम और गोवा के भौगोलिक क्षेत्र के बराबर जंगलों पर अवैध कब्जा हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके अनुसार, 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 13 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है।



बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों ने विवरण नहीं दिया

रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना आंकड़ा पेश किया है, उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर तथा दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा,

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। वहीं लगभग 10 राज्यों ने वन अतिक्रमण पर डाटा या विवरण पेश नहीं किया। इसमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नगालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

व्या कहते हैं आंकड़ें

- ▶ मध्य प्रदेश और असम सबसे अधिक प्रभावित
- ▶ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी को सौंपे आंकड़े
- ▶ 10 राज्यों ने वन अतिक्रमण पर आंकड़े पेश नहीं किए

एनजीटी ने वन अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लिया

दरअसल, पिछले वर्ष एनजीटी ने वन अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें बताया गया था कि भारत में 7,50,648 हेक्टेयर (या 7506.48 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है, जो दिल्ली के आकार से पांच गुना अधिक है। इस पर एनजीटी ने मंत्रालय को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रों के अतिक्रमण का विवरण एक निर्धारित प्रारूप जमा करने का निर्देश दिया था। अब पिछले हफ्ते एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट में मंत्रालय ने बताया कि मार्च, 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13056 वर्ग किलोमीटर) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था। इसमें बताया गया कि राज्यों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश और असम में सबसे अधिक वन अतिक्रमण है।

तीन श्रेणी में बंटा

दरअसल, वन क्षेत्र या रिजर्वेड फॉरेस्ट एरिया (आरएफए) को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें आरक्षित वन, जिन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त है और जिनमें शिकार और चराई जैसी गतिविधियां आम तौर पर प्रतिबंधित हैं। आरएफए में सरकार उन जंगलों को भी वन के तौर पर नामित भूमि में रखा है, जिनमें पेड़ न भी हों।

प्रदेशों के साथ गत वर्ष 11 नवंबर को बैठक भी हुई। मंत्रालय ने इस साल 22 फरवरी और 26 मार्च को भी पत्र भेजे, जिसमें बचे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जानकारी देने को कहा गया है।

मुंबईकरों पर 'कचरा टैक्स'!

आदित्य टाकरे ने 'कचरा टैक्स' को बताया आम जनता पर बोझ

प्रपोजल प्रस्तावित, अंतिम मंजूरी नहीं

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य टाकरे ने 'कचरा टैक्स' के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे मुंबईकरों पर अधिक बोझ बताया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर 'अप्रैल फूल सरकार' का तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ नए कर वसूलने में लगी है, जबकि जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप



आदित्य टाकरे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'कचरा टैक्स' से जनता की जेब काटी जा रही है, जबकि टैकेंदारों की जेबें भरी जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार करे और आम जनता को राहत दे।

कैसे वसूला जाएगा कचरा टैक्स?

बुध-मुंबई नगर निगम ने सोमवार को 2025 के लिए स्वच्छता और सफाई नियम प्रस्तुत किया। जिसमें घरों से दैनिक कचरा संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता कर भी शामिल है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 50 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र (बीयूप) वाले आवासों से 100 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। जबकि, 50 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर के बीच बीयूप वाले आवासों के लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। बीयूप में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों के लिए कचरा संग्रहण शुल्क 1000 रुपये होगा। यह कर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैस्टहाउसों, रेस्तरां, क्लबों, प्रयोगशालाओं, गोदामों, कार्यालयों, लघु एवं कुटीर उद्योग कार्यशालाओं, शीतगृहों, विवाह हॉलों, उत्सव हॉलों, प्रदर्शनियों और सभा स्थलों पर भी लगाया जाएगा। फिलहाल इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, यह प्रपोजल प्रस्तावित है।

कार्रवाई कर अतिक्रमण भी हटाया

रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक 409.77 वर्ग किलोमीटर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि मार्च, 2024 तक अतिक्रमण के तहत कुल वन भूमि से इस क्षेत्र को बाहर रखा गया था या नहीं। मंत्रालय ने एनजीटी को बताया कि उसने पिछले साल 1 मई, 17 मई और 28 मई को भेजे पत्रों से राज्यों से डेटा जमा करने को कहा था। राज्यों और केंद्र शासित

मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस

मेमन परिवार को संपत्तियां खाली करने का आदेश

32 साल बाद टाडा कोर्ट का फैसला

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में एक विशेष टाडा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने टाइगर मेमन, याकूब मेमन और उनके परिवार की 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। इनमें कई फ्लैट, खाली प्लॉट, ऑफिस और दुकानें शामिल हैं। इन संपत्तियों को 1994 में अटैच किया गया था। फिलहाल ये संपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के कोर्ट रिसीवर के पास हैं। विशेष न्यायाधीश वी.डी. केदार ने 26 मार्च को यह आदेश दिया, जिसकी प्रति मंगलवार को प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि कोर्ट रिसीवर को इन 14 संपत्तियों से मुक्त किया जाता है। संपत्तियों को बेचने या किसी अन्य कानूनी तरीके से निपटाने के बाद जो भी खर्चा होगा, उसे सक्षम प्राधिकारी को देना होगा।



परिवार को प्रॉपर्टी खाली करने का आदेश

संपत्तियों को खाली करने के नोटिस मेमन परिवार के 13 सदस्यों को भेजे गए थे, जिनमें टाइगर मेमन भी शामिल था। लेकिन किसी ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज

मैन्युलेटर्स एक्ट (SAFEMA) के तहत 7 जनवरी, 2025 को यह याचिका दायर की थी। सरकार का कहना है कि इस अर्थोपरीति का काम स्मगलर्स और ड्रग तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाना और

टाइगर मेमन की कितनी प्रॉपर्टी ?

टाइगर मेमन बम धमाकों का मुख्य आरोपी है और वह अभी भी फरार है। उसके भाई याकूब मेमन को इस मामले में दोषी पाया गया था और उसे 2015 में फांसी दी गई थी। जिन संपत्तियों को सरकार को सौंपा जाएगा, उनमें बांद्रा (पश्चिम) के अलमेडा पार्क में याकूब का प्लॉट, सांताक्रूज में एक खाली प्लॉट और पलेट, कुर्ली में दो पलेट, मोहम्मद अली रोड पर एक ऑफिस, डोंगरी में एक दुकान, पलेट और जमीन, माहिम में एक खुला प्लॉट, मनीष मार्केट में तीन दुकानें, जावेरी बाजार में एक इमारत और प्लॉट, और माहिम में एक गैरेज शामिल है। इन संपत्तियों के मालिक अब्दुल रज्जाक मेमन, इरसा मेमन, याकूब मेमन और रुबीना मेमन हैं।

उन्हें जब्त करना है। SAFEMA एक कानून है जो सरकार को स्मगलिंग और विदेशी मुद्रा के हेरफेर से कमाए गए पैसों से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।

सैफ अली खान हमला केस
कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला मामले में आरोपी शरीफुल की जमानत याचिका पर एक अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन अब इसे 4 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई। दरअसल, पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था, जिसकी वजह से कार्यवाही में देरी हुई। अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने पुलिस को

बेल एप्लीकेशन के संबंध में अपना जवाब सबमिट करने का निर्देश दिया है। अपनी याचिका में शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद ने खुद को निर्दोष बताया है और दावा किया है कि उसके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। अपने वकील अजय गवली के माध्यम से दिए आवेदन में तर्क दिया गया है कि एफआईआर अनुचित तरीके से दर्ज की गई थी।

पुलिस ने अब तक फाइल नहीं की चार्जशीट

शहजाद ने यह भी कहा कि उसने जांच में पूरा सहयोग किया है और सभी आवश्यक सबूत पहले से ही पुलिस के पास हैं। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुश्किल है। फिलहाल यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है और पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद इसे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाने की उम्मीद है। अभी तक बांद्रा पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं की है। वहीं, सैफ पर जानलेवा हमले मामले में पकड़े गए संदिग्ध आकाश कर्नौजिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार

लगाई है। उसका दावा है कि पकड़े जाने की खबर मीडिया में प्रसारित होने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यहां तक कि उसकी शादी भी टूट गई। अब रिश्तेदारों ने भी उससे दूरी बना ली है। नौकरी के लिए दर-दर भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा है। सामाजिक और आर्थिक नुकसान होने के बाद अब उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके आत्महत्या कर लेने के विचार आने की जानकारी लगने के बाद एक समाजसेवी ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई है।

ऐसे जल्ट हुई थी टाइगर मेमन की प्रॉपर्टी

सरकार ने बताया कि टाइगर मेमन के खिलाफ 1992 में महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के तहत एक डिटेन्शन ऑर्डर जारी किया था। COFEPOSA एक कानून है जो सरकार को स्मगलिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। इसके बाद, 1993 में SAFEMA के तहत अधिकारियों ने उसकी कई संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। लेकिन 1994 में टाडा अदालत ने इन संपत्तियों को अटैच कर दिया और एक कोर्ट रिसीवर को उनकी कस्टडी दे दी। टाडा एक ऐसा कानून था जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से जुड़े मामलों में किया जाता था।

प्रॉपर्टी रिलीज के लिए हुई थीं याचिकाएं

पिछले कुछ सालों में जिन लोगों की संपत्तियां जब्त की गईं, उन्होंने उन्हें वापस पाने के लिए कई अदालतों में याचिकाएं दायर कीं। लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अगस्त 2024 में अदालत ने माहिम की अल हुसैन बिल्डिंग में स्थित तीन प्लेटों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया था। ये प्लेट कभी मेमन परिवार के थे। इन प्लेटों का संबंध टाइगर, याकूब और उनके रिश्तेदारों से

था, जिनमें उनकी मां हनीफा (जिन्हें बरी कर दिया गया था), भाभी रुबीना (जो आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं), और पत्नी शबाना (जो फरार हैं) शामिल हैं। हाउसिंग सोसाइटी ने प्लेटों के रखरखाव के बकाया और पुनर्विकास के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया और उन्हें सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया।

बुच के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश पर रोक बढ़ी

मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ FIR आदेश पर रोक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने भी इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। जस्टिस शिवकुमार डिगे ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले में हलफनामा दाखिल किया है और बुच और अन्य आरोपियों को इसकी जांच करने के लिए समय दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मार्च में बुच समेत SEBI के पांच शीर्ष अधिकारियों ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।



1 मार्च को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने दिया था FIR का आदेश

1 मार्च को मुंबई की एक स्पेशल एंटी-कॉरप्शन कोर्ट ने माधवी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

प्रशांत कोरटकर की जमानत याचिका खारिज

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक बयान देने और इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकी देने के मामले में प्रशांत कोरटकर की जमानत याचिका मंगलवार को कोल्हापुर जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। अब, कोरटकर के वकील को कोल्हापुर सेशन कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। रविवार को कोल्हापुर जिला कोर्ट ने कोरटकर को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद कोरटकर के वकील ने जमानत याचिका को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोरटकर के फरार होने की आशंका जताई, जबकि कोरटकर के वकील ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और फरार नहीं होंगे। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोरटकर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान देने के बाद फरार हो गए थे, को करीब एक माह बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सुरक्षा कारणों से कलंबा जेल की अंडा सेल में रखा गया है।



मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल

(महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक क्षेत्रीय इकाई)

निविदा सूचना संख्या ईई/पूर्व/एमएसआईबी/ई-टेंडर/यूई/10/2024-25

कार्यकारी अभियंता (पूर्व) प्रभाग, मुंबई झोपड़पट्टी सुधार बोर्ड, (महाडा की इकाई) कमरा संख्या 536, चौथी मंजिल, गृह निर्माण भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 फोन नंबर (022) 66405251 मुंबई उपनगरीय जिले में उपयुक्त वर्ग में महाडा/पीडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत बेरोजगार इंजीनियरों से बीआई (प्रतिशत दर) के रूप में 02 कार्यों के लिए ई-टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। विस्तृत निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज उपलब्ध होंगे और महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल <https://mahatenders.gov.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोली दस्तावेज वेबसाइट पर लोड किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज की बिक्री दिनांक 04/04/2025, सुबह 10.05 बजे से शुरू होकर दस्तावेज बिक्री की अंतिम तिथि 11/04/2025, शाम 6.15 बजे तक होगी। शुद्धिपत्र/संशोधन यदि कोई हो तो केवल <https://mahatenders.gov.in> वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Follow us: @mhadaofficial

सीपीआरओ/ए/234

महाडा-राष्ट्र में अग्रणी आवास प्राधिकरण



हस्ता./-

कार्यकारी अभियंता (पूर्व), एम एस आई बी बोर्ड, मुंबई

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

मुख्य अभियंता (आरडीएस और टीआर)

ई-निविदा सूचना

निविदा दस्तावेज संख्या	2025_MCGM_1166656
संगठन का नाम	बृहन्मुंबई महानगर पालिका
विषय	वर्ली के डामर प्लॉट में बैच मिक्स प्लॉट के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (P.L.C.) के साथ ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (S.I.T.C.) के लिए निविदा आमंत्रित करना।
ई-निविदा की लागत (अनुमानित लागत)	₹.21,16,450.00 (जीएसटी को छोड़कर)
निविदा जांच शुल्क	₹. 3630+18% यानी ₹.4285/-
ईएमडी	₹.24,975/-
निविदा जारी करने और बेचने की तिथि	02/04/2025 11:00 बजे से
निविदा बेचने की अंतिम तिथि और समय	10/04/2025 16:00 बजे तक
पैकेट ए और बी जमा करना (ऑनलाइन)	10/04/2025 16:00 बजे तक
पूर्व-बोली बैठक	एनए
पैकेट ए खोलना	11/04/2025 16.15 बजे के बाद
पैकेट बी खोलना	11/04/2025 16.20 बजे के बाद
वेबसाइट	http://mahatender.gov.in
संपर्क व्यक्ति	श्री शगुन पवार (ईई):-8879646460 श्री. विश्वास धेंडे (एसई):- 9920978240 श्री. विशाल लोटेकर (जेई): 7058555100
संपर्क के लिए पता	सहायक अभियंता डामर प्लॉट, एस.के. अहिरे मार्ग, मेफेयर होटल के सामने, वर्ली, मुंबई-400 025
बोली खोलने का स्थान	सहायक अभियंता डामर प्लॉट, एस.के. अहिरे मार्ग, मेफेयर होटल के सामने, वर्ली, मुंबई-400 030 के कार्यालय में ऑनलाइन।

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

बीएमसी बिना कोई कारण बताए उपरोक्त विषय के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार करने या किसी या सभी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

हस्ता./-

सहायक अभियंता (डामर प्लॉट)

पीआरओ/09/विज्ञा./2025-26

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

सीएम फडणवीस ने महाबलेश्वर पर्यटन महोत्सव के बोध चिन्ह का किया लोकार्पण



मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में महाबलेश्वर पर्यटन महोत्सव के बोध चिन्ह का लोकार्पण किया। यह महोत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से 7-9 मई 2025 तक सातारा जिले के महाबलेश्वर में आयोजित किया जाएगा।

महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन 2 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जिसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई और पर्यटन राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक भी शामिल होंगे।

महोत्सव का उद्देश्य

यह महोत्सव पर्यटकों को स्थानीय कला, संस्कृति, और खाद्य संस्कृति से परिचित कराते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। तीन दिवसीय महोत्सव में लोक संस्कृति के साथ-साथ प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई, राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव सुजाता सोनिक, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव अतुल पाटने, एमटीडीसी के प्रबंध निदेशक मनोज सूर्यवंशी, पर्यटन निदेशक डॉ. वीएन पाटिल, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा में 75 की उम्र में रिटायरमेंट का नियम नहीं : बावनकुले

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को 75 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा। यह देश की जनता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का फैसला करेगी, न कि संजय राउत। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के दौरे को रिटायरमेंट प्लान बताया था। बावनकुले ने राउत के इस बयान को राजनीतिक स्टेट बताया था।



'भारतीय संविधान भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से संजय राउत के दावे को खारिज किए जाने के एक दिन बाद बावनकुले ने 'एक्स' पर कहा, 'भाजपा में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे पीएम मोदी को 75 साल की

उम्र के बाद राजनीति से रिटायर होना पड़ेगा। ऐसा कोई फैसला कभी भी नहीं हुआ है।' बावनकुले ने आगे कहा कि भारतीय संविधान भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं करता है।

'भाजपा के प्रति अपनी दुश्मनी में अंधे राउत'

उन्होंने कहा, 'पूर्व भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी 79 वर्ष की आयु तक प्रधानमंत्री रहे, जबकि मोरारजी देसाई (83) और डॉ. मनमोहन सिंह (81) भी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री रहे। हालांकि, भाजपा के प्रति अपनी दुश्मनी में अंधे राउत यह भूल गए हैं।'

'प्रधानमंत्री का कार्यकाल चुनावी जनादेश और जनता के समर्थन से तय होता है'

बावनकुले ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का कार्यकाल चुनावी जनादेश और जनता के समर्थन से तय होता है, न कि राउत जैसे व्यक्तियों से। उन्होंने कहा, 'इस देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल का फैसला करती है, न कि संजय राउत या विपक्ष।'

'मोदी 2029 के बाद भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे'

भाजपा नेता ने कहा कि मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यह सपना

उन्हें नेतृत्व में साकार होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में

अपने तीसरे कार्यकाल में हैं और इस साल सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। 2029 के बाद भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे।

आसाराम फिर पहुंचा सलाखों के पीछे, जेल में सरेंडर किया



जोधपुर। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से रेप करने का दोषी आसाराम ने जमानत अवधि खत्म होने पर मंगलवार को फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई है। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट दो अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट में 29 से 31 मार्च तक छुट्टी के बाद मंगलवार को आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के वकील दिनेश जैन ने बताया कि आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होगी। यदि कोर्ट अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाती है तो आसाराम को जेल में ही रहना होगा। जब तक दोनों ही मामलों में उसे राहत नहीं मिलती है, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

बरहट में कोयला ढोने वाली दो मालगाड़ी आपस में टकराई, 2 की मौत

बरहट: मंगलवार की अहले सुबह ललमटिया-फरक्का एमजीआर रेल लाइन पर हुए भीषण हादसे में दो मालगाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे तीन रेल इंजन, सात बोगियां और रेल पट्टी



बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में दो लोको पायलट जिंदा जलकर मौत के शिकार हो गए, जबकि एक लोको पायलट और पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बरहट सोनाजोड़ी लूप लाइन में पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, तभी ललमटिया से फरक्का जा रही दूसरी कोयला लदी मालगाड़ी गलती से लूप लाइन में प्रवेश कर गई। तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिला और सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीजल इंजन में आग लग गई और दोनों लोको पायलट जिंदा जल गए।

सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए निर्देश



रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी अनुराग गुप्ता) को निर्देश दिया है कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैप हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई न की जाए। इस आदेश के बाद डीजीपी ने रांची एसएसपी को मामले

में कोई आगे की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। 30 मार्च 2025 को रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का रैप हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, और विधि व्यवस्था में बाधा डाली गई। हालांकि, पुलिस और दंडाधिकारियों ने संयम बरतते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा। इस घटना के संबंध में 30 मार्च को चूटिया थाने में कांड संख्या (77/2025) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नहाय-खाय से चैती छठ का आगाज

- ▶▶ 2 अप्रैल को खरना, उसके बाद शुरू होगा निर्जला उपवास
- ▶▶ 3-4 अप्रैल को सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होगा

एजेंसी | पटना

लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा की आज मंगलवार से नहाय-खाय के साथ शुरू हो गई। नहाय-खाय में व्रती स्नान कर नए कप धारण करते हैं और चने की दाल, कढ़ू की सब्जी, और चवल ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ-सफाई और शुद्धिकरण पर जोर दिया जाता है।



खरना के बाद शुरू होगा निर्जला उपवास

खरना को दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को पुरे समुद्र में बांटा जाता है। तीसरे दिन संघा अर्घ्य दिया जाता है। यह मुख्य दिन होता है। श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान बांस की टोकरी में टेकुआ, फल और गन्ना रखकर विशेष भागवान भास्कर की पूजा की जाती है। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समाप्त किया जाता है।

रुड़की में हेल्थ क्लब की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

- ▶▶ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 9 गिरफ्तार

एजेंसी | रुड़की

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने रुड़की के कलियथर थाना क्षेत्र में हेल्थ क्लब की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में चार महिलाओं और पांच पुरुषों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।



गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी

हरिद्वार एसएसपी प्रमोद डोबाल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को देह व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय थाना पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पिरान कलियथर क्षेत्र में एक हेल्थ क्लब की आड़ में जितम्फरोशी का बंध चलाना जा रहा है। सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पिरान कलियथर थाना पुलिस ने हेल्थ क्लब पर छापा मारा, जहां से चार महिलाओं और पांच पुरुषों को गिरफ्तार किया गया।

'मैं योगी हूँ, हमेशा के लिए राजनीति में नहीं' योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को किया खारिज

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति में स्थायी रूप से नहीं आए हैं और उनका प्राथमिक उद्देश्य जनता की सेवा करना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं दिल से एक योगी हूँ और राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। भाजपा ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे मैं निभा रहा हूँ, लेकिन हमेशा के लिए राजनीति में नहीं हूँ। प्रधानमंत्री पद की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में एक समय सीमा है और वे इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखेंगे। गौरतलब है कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम चर्चा में है।

धर्म और राजनीति के संबंध पर भी दिया बयान

एजेंसी | लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म और राजनीति के संबंध पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म का समावेश गलत नहीं है। यह हमारी गलती है कि हम धर्म को कुछ स्थानों तक सीमित कर देते हैं और राजनीति को कुछ लोगों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना होना चाहिए। धर्म भी तभी सार्थक होता है जब वह परमार्थ के लिए हो। आधुनिक समाज में धर्म के लिए किया जाने वाला शुद्धिकरण आती है, लेकिन जब इसका उद्देश्य परमार्थ होता है, तो यह समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।



मलिन बस्तियों का होगा कायाकल्प

- ▶▶ 250 से अधिक परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
- ▶▶ योगी सरकार ने जारी किए 20 करोड़ रुपए

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में शहरी विकास को नई गति मिल रही है। जहां एक ओर शहरों और कस्बों का तेजी से कायाकल्प हो रहा है, वहीं मलिन बस्तियों में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित और मलिन बस्ती योजना के तहत लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, रायबरेली और कन्नौज समेत 17 जिलों में 250 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं के तहत सीसी रोड, इंटरनेटिंग रोड, नाली निर्माण और पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

मलिन बस्तियों के जीवन स्तर में होगा सुधार

एजेंसी | लखनऊ

प्रदेश सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने से मलिन बस्तियों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे राज्य की तस्वीर बदल रही है। जल्द ही इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सड़कें, जल निकासी और उत्तम प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका जीवन अधिक सुगम होगा।

विभिन्न जिलों में परियोजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति

इस योजना के तहत लखनऊ, प्रयागराज, मऊ, बस्ती, जालौन, सिद्धार्थनगर, मुदाबाद, संतकबीर नगर, जौपुर, बुलंदशहर और महाराजगंज की 166 परियोजनाओं के लिए 3.35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़ और कौशांबी जिलों में 95 परियोजनाओं के लिए 17.53 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।



सेंसेक्स में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट

- ▶▶ 1390 अंक नीचे 76,024 पर बंद, निफ्टी 353 लुढ़का
- ▶▶ रियल्टी और IT सेक्टर सबसे ज्यादा टूटे

एजेंसी | मुंबई

वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार (1 अप्रैल) को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1390 अंक (करीब 1.80%) गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ। यह इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले सेंसेक्स में 28 फरवरी को 1414 (1.90%) अंक की गिरावट रही थी। निफ्टी में भी करीब 353 अंक (करीब 1.50%) की गिरावट रही, ये 23,165 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट रही। HCL टेक, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और इंफोसिस में सबसे ज्यादा करीब 4% गिरकर बंद हुए। NSE के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट रही। सेक्टरल इंडेक्स में सबसे तेज गिरावट 3.11%, कंप्यूटर इयूरोबल में 2.50%, IT में 2.45%, फार्मा में 1.73% और प्राइवेट बैंक में 1.21% की गिरावट रही।

एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। यह घोषणा उन एनजीओ पर लागू होगी जिनके नवीनीकरण आवेदन लंबित हैं। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जनहित में एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) की वैधता 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जिनका लाइसेंस या तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच समाप्त हो रहा है, या उनका नवीनीकरण आवेदन लंबित है।

206.6 करोड़ रुपए के घटिया आयातित सामानों पर कार्रवाई

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने भारतीय बाजार में घटिया गुणवत्ता के आयातित उत्पादों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी तक) में कुल 206.62 करोड़ रुपए के घटिया माल के आयात पर 206 मामले दर्ज किए हैं।

घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा



कार्रवाई करता है। जांच के बाद डीजीटीआर अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेजता है, ताकि उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।

मंत्री ने बताया कि ये मामले सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत दर्ज किए गए हैं और इसमें उन उत्पादों को शामिल किया गया है जो आईपीआर, बीआईएस और एफएसएसआईआई मानकों का उल्लंघन करते हैं। सरकार का उद्देश्य घरेलू उद्योग को सस्ते और घटिया आयात के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। उन्होंने बताया कि व्यापार उद्योग महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग की ओर से दायर याचिकाओं के आधार पर जांच करता है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत कार्रवाई करता है।

मार्च में सरकार ने 1.96 लाख करोड़ GST वसूला

नई दिल्ली। सरकार ने मार्च 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9.9% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार 1 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले यानी मार्च 2024 में सरकार ने 1.78 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था। एक महीने पहले यानी जनवरी में सरकार ने GST से 1.84 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, जो पिछले साल फरवरी के मुकाबले 9.1% ज्यादा था। वहीं, मार्च लगातार 13वां महीना रहा, जब मंथली कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में 19.56 लाख करोड़ रुपए नेट GST कलेक्शन हुआ है।

अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ था

ग्राँस टैक्स कलेक्शन के लिहाज से नवंबर महीने में अब तक का तीसरा सबसे बड़ा कलेक्शन रहा था। इससे पहले अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में वसूले गए थे। वहीं, अप्रैल-2023 और अक्टूबर-2024 में 1.87-1.87 लाख करोड़ रुपए का GST सरकार ने वसूला था।

पूंजीगत व्यय में कटौती के बजाय 11.21 लाख करोड़ रुपए निर्धारित

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती नहीं की गई है, बल्कि इसे बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों में अनुपातिक वृद्धि की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में एक संवाक का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल

बड़े नक्सल ऑपरेशन में शामिल कमांडो से मिलेंगे गृहमंत्री अमित शाह

4 अप्रैल को रायपुर, 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा का दौरा

एजेंसी | रायपुर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। 4 अप्रैल को वे रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 5 अप्रैल को वे दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक और भोजन करेंगे।

नक्सल ऑपरेशन में शामिल कमांडो से होगी मुलाकात



गृहमंत्री शाह नक्सल अभियान में शामिल कमांडो के साथ बैठक करेंगे और उनकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में दी। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर को लाल आंकड़ से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है। अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया है, जो रणनीतिक और तार्किक आधार पर लिया गया निर्णय है।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान



धनहा थानाध्यक्ष धर्मवीर कुमार भारती ने जानकारी दी कि गिरफ्तार तस्कर सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनमें हनुमानगंज थाना क्षेत्र के हनुमानगंज गांव निवासी विजय चौधरी, जटाहा थाना के जटाहा बाजार निवासी अफरीदी, कठार गांव निवासी सुरेंद्र यादव और सदीप कुमार शामिल हैं।

भागने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने घेरा डालकर पकड़ा

थानाध्यक्ष ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान यूपी की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक ने तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर स्कॉर्पियो को दबोक लिया। जब वाहन की तलाशी ली गई, तो उसमें से 1 किलो चरस बरामद हुआ। वहीं, सदीप और विजय चौधरी की तलाशी में एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस भी मिले।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

पुलिस ने तस्करों के वाहन को भी जब्त कर लिया और इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इन तस्करों के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। मंगलवार को चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बगहा भेज दिया गया।

न्यूज़ ब्रीफ

मौका मिला तो दोबारा अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे : बुच विल्मोर

केप केनवैरल। नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने सोमवार को कहा कि उनकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए कुछ हद तक वे स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह बिना देर किए बोइंग स्टारलाइनर पर दोबारा उड़ान भरेंगे।

कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

नई दिल्ली। राजज एवेन्स अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया और कहा कि इसमें जांच की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कपिल कथित अपराध के समय इलाके में थे। ऐसे में उक्त मामले में आगे की जांच जरूरी है।

सुरंग में नमो भारत की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल

नई दिल्ली। नमो भारत के न्यू अशोक नगर से आनंद विहार तक भूमिगत खंड पर सुरक्षा को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान परखा गया कि अगर सुरंग में आग लगने की घटना हुई तो यात्रियों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इसमें नमो भारत ट्रेन की ऑपरेशन टीम, क्यूआरटी और दमकल विभाग की टीम शामिल रही। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नमो भारत ट्रेन और स्टेशनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। इन इंतजामों को परखने के लिए न्यू अशोक नगर और आनंद विहार भूमिगत स्टेशन के बीच यात्री सुरक्षा मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया गया।

नगालैंड के एक और जिले में अफस्यु लागू

केन्द्र सरकार ने नगालैंड के मेलेरु जिले में छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्यु) मंगलवार को लागू कर दिया। इससे दो दिन पहले ही राज्य के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्यु लागू किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि नगालैंड सरकार ने नवंबर 2024 में फेक जिले से मेलेरु जिले का निर्माण किया था, लेकिन 30 मार्च को सात अन्य जिलों के साथ इसे भी अंशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इस कारण यहां अफस्यु लागू किया जा रहा है। अफस्यु अंशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां देता है और केंद्र की मंजूरी के बिना उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है।

साबरमती आश्रम पर तुषार गांधी की याचिका स्वारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ दायर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका दायर करने में दो साल से अधिक की देरी का उल्लेख करते हुए कहा कि वह याचिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। तुषार ने गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ अपनी याचिका में तर्क दिया था कि प्रस्तावित परियोजना आश्रम की आकृति को बदल देगी। याचिका में कहा गया है कि परियोजना में कथित तौर पर 40 से अधिक इमारतों की पहचान की गई है जिन्हें संरक्षित किया जाएगा जबकि शेष लगभग 200 को नष्ट कर दिया जाएगा। या उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने 2022 में तुषार की याचिका का उस समय निपटारा कर दिया था, जब सरकार ने कहा था कि आश्रम का मुख्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने 1917 में स्थापित किया था।

सुरंग में नमो भारत की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल

नई दिल्ली। नमो भारत के न्यू अशोक नगर से आनंद विहार तक भूमिगत खंड पर सुरक्षा को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान परखा गया कि अगर सुरंग में आग लगने की घटना हुई तो यात्रियों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इसमें नमो भारत ट्रेन की ऑपरेशन टीम, क्यूआरटी और दमकल विभाग की टीम शामिल रही। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नमो भारत ट्रेन और स्टेशनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। इन इंतजामों को परखने के लिए न्यू अशोक नगर और आनंद विहार भूमिगत स्टेशन के बीच यात्री सुरक्षा मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोड़रा की याचिका खारिज की

एजेंसी | नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी सांसद महुआ मोड़रा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक निवेश जोन और विदेशी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का सार्वजनिक खुलासा अनिवार्य करने की मांग की गई थी।

लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल

एजेंसी | नई दिल्ली

वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। इसके बाद बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) ने जब इस बात की जानकारी दी, तब विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने BAC की बैठक से वाकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोरोई ने सरकार पर अपने एजेंडे को थोपने और विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल पर मंगलवार को भी लोकसभा में हंगामा हुआ। प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी।

संसदीय कार्य मंत्री बोले- देश जानना चाहता है किसका क्या स्टैंड

भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में पूरे समय मौजूद रहने को कहा है। वहीं, कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बजट सत्र के बाकी बचे तीनों दिन सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम बिल पर चर्चा चाहते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस पर बोलने का अधिकार है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। अगर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता तो हम उन्हें रोक नहीं सकते।



हर अच्छे काम का विरोध होता है, इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है, जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जे का माध्यम बन गया है।

-योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

पिछले 75 साल से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए फर्जी कहानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम मुसलमान लुब्धक नहीं चाहते, वे सशक्तिकरण चाहते हैं। वक्फ बिल से सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को होगा।

-मिलिंद देवड़ा, शिवसेना के राज्यसभा सांसद

वक्फ संशोधन बिल को 'वक्फ बर्बाद बिल' कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील की कि उन्हें सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए कि वे क्या करवाना चाहते हैं।

-असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख

भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। भाजपा पूरा नियंत्रण चाहती है। प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा की गई है। वह कहते थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्या भाजपा ईद पर किट बांटकर तुष्टीकरण नहीं कर रही है? अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट

एजेंसी | बनारसकांठा

गुजरात के बनारसकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग हादसे में 20 श्रमिकों की मौत हो गई है। हादसे में मृतक श्रमिकों में सभी मध्य प्रदेश के मजदूर बताए जा रहे हैं। इसमें हरदा जिले के हंडिया के रहने वाले आठ और छह देवास के मजदूरों की पहचान हुई है। मृतकों में बाकी छह लोगों की अभी पहचान होना बाकी है। हरदा जिला प्रशासन ने एडीएम के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। इसके लिए प्रशासन और पुलिस को एक टीम को हरदा से बनारसकांठा रवाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के बनारसकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से मध्यप्रदेश निवासी श्रमिकों के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का गुजरात सरकार से घटना के संबंध में लगातार संपर्क बना हुआ है। श्रमिकों की सहायता और परिवारों



मैं इस दुर्घटना में राहत, बचाव और उपचार कार्य के संबंध में प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूँ। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों को जल्द से जल्द उचित उपचार मिले। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की मदद देगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मृत कर्मचारियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे।

-भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री

को मदद के लिए सभी आवश्यक प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री डॉ। यादव ने बाबा महाकाल से असमय दिवंगत श्रमिकों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

गुजरात सरकार के परिवार के लिए किया मुआवजे का ऐलान गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी घटना पर दुख जताया है। सीएम यादव के मुताबिक उनकी सरकार गुजरात सरकार से संपर्क में है और हादसे के हातहतों को उचित आर्थिक मदद दिया जाएगा।

नहीं रहे प्रेमचंद के बाँसवेल

प्रख्यात साहित्यकार डॉ. कमल किशोर गोयनका का निधन

एजेंसी | नई दिल्ली हिन्दी के प्रख्यात लेखक और उपन्यास सम्राट् मृंगी प्रेमचंद के साहित्य के सर्वोत्तम विद्वान शोधकर्ता डॉ. कमल किशोर गोयनका का मंगलवार को निधन हो गया। उनके बेटे संजय ने बताया कि उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में सुबह लगभग 7:30 अंतिम सांस ली। उनके छोटे पुत्र राहुल विदेश में हैं। इसलिये उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा।

24वें व्यास सम्मान से अलंकृत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 11 अक्टूबर 1938 को जन्मे कमल किशोर गोयनका को वर्ष 2014 के लिए 24वें व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक 'प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन' के लिए दिया गया था। उन्हें व्यास सम्मान के साथ-साथ उदय राज स्मृति सम्मान भी प्राप्त था। उन्हें प्रेमचंद साहित्य का अप्रतिम मर्मज्ञ माना जाता है। उनका योगदान केवल प्रेमचंद तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हिन्दी साहित्य के गम्भीर शोध, आलोचना और प्रवासी हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी असाधारण कार्य किया।

62 पुस्तकों में से 36 प्रेमचंद पर केंद्रित डॉ. गोयनका चार दशक तक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के शिक्षक रहे और रीडर पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने पांच दशक से अधिक समय तक प्रेमचंद और अन्य लेखकों पर शोध किया। उनकी 62 पुस्तकों में से 36 प्रेमचंद पर केंद्रित हैं। वे 'प्रेमचंद के बाँसवेल' के रूप में विख्यात हुए। उनकी खोजी दृष्टि ने प्रेमचंद साहित्य की दशकों पुरानी धारणाओं को युनैनीती दी और भारतीयता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की पुनर्वाख्या की। उन्होंने हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक खोज का कार्य किया और लगभग एक हजार पृष्ठों के अज्ञात एवं दुर्लभ साहित्य, सैकड़ों मूल दस्तावेज, पत्र, पांडुलिपियां आदि को खोजकर प्रेमचंद के साहित्यिक स्वरूप

रणवीर अल्लाहाबादिया और आशीष चंचलानी को नहीं मिली राहत

जांच पूरी होने तक पासपोर्ट देने से इनकार

एजेंसी | नई दिल्ली

यूट्यूबर रणवीर अल्लाहाबादिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने शो में शालीनता बनाए रखने की बात कही। रणवीर ने अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई इंटरव्यू के सिलसिले में उन्हें विदेश जाना पड़ता है और कई मीटिंग करनी पड़ती है। रणवीर ने तर्क दिया कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर वह विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित होगी। रणवीर अल्लाहाबादिया के अलावा आशीष चंचलानी ने भी अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन शीघ्र अदालत ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया।



कब तक चलेगी जांच?

पीठ ने कहा कि अगर अल्लाहाबादिया विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित होगी। साथ ही महाराष्ट्र और असम सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच पूरी करने की समय-सीमा के बारे में भी पूछा। तुषार मेहता ने जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना जताई। पीठ ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद पासपोर्ट जारी करने के अल्लाहाबादिया के अनुरोध पर विचार करेगी।

शर्तों के साथ शो शुरू करने की अनुमति

'इंडिया गॉट टैलेंट' में अश्लील और विवादास्पद बयान के विवाद में फंसे रणवीर शो' फ़िर से शुरू करने की अनुमति दी। यह अनुमति उन्हें नैतिकता और शालीनता बनाए रखने और सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाने के शर्त पर मिली। रणवीरशमय रेना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' पर माता-पिता को लेकर अश्लील टिप्पणी की थी।

येशु-येशु वाले बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद

एजेंसी | मोहाली

रेप केस में दोषी करार दिए गए स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रान्त कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बजिंदर सिंह खुद को धार्मिक प्रचारक बताते हैं और अपनी सभाओं में चमत्कार करने के दावे करते रहे हैं। कई बार उनको सभाओं में सिलेब्रिटीज भी शामिल हुए। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में वह लगातार विवादों में घिरे रहे और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए।



कैसे खुला मामला?

यह मामला 2018 में जैरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से सामने आया था। महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का झांसा दिया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने घर पर बलात्कार किया।

किस धाराओं में दोषी करार?

अदालत ने बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाने), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। सजा सुनाए जाने के बाद 42 वर्षीय पादरी को पटियाला जेल भेज दिया गया। इस केस में पांच अन्य आरोपी अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, रितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया, जबकि ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

चिंताजनक अंतरराष्ट्रीय नेत्र सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त की

बच्चों की आंख खराब और बड़ों में माइग्रेन की वजह बन रही रील्स

एजेंसी | नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर बढ़ती रील्स देखने की आदत अब केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि आंखों के लिए भी गंभीर खतरा बन रही है। डॉक्टरों और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने हाल ही में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक रील्स देखने से डार्क आई सिंड्रोम, मायोपिया (नजदीक की दृष्टि कमजोर होना), आंखों में जलन, धुंधली दृष्टि और भेगापन जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं।



50 फीसदी आबादी पर मायोपिया का खतरा 2050 तक दुनिया की 50 फीसदी आबादी मायोपिया से पीड़ित हो सकती है। पहले 21 साल की उम्र के बाद चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता था, लेकिन अब 20 साल तक की उम्र में भी चश्मे का नंबर बढ़ जा रहा है।

ये उपाय अपनाएं हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें स्क्रीन के सामने पलकें झपकाने की आदत जरूर डालें रील्स और स्क्रीन टाइम सीमित करें

डिजिटल आई स्ट्रेन की महामारी

द्वारका में आयोजित प्रेस वार्ता में एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्टोमोलॉजी के अध्यक्ष डॉ. ललित वर्मा ने इसे डिजिटल आई स्ट्रेन की महामारी करार देते हुए चेतावनी दी कि बच्चों और युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार, छोटी और आकर्षक रील्स लगातार स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई होती हैं। इसके कारण पलक झपकाने की दर 50 फीसदी तक कम हो जाती है, जिससे आंखें सूख जाती हैं और आई स्ट्रेन बढ़ता है। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हरबंश लाल ने बताया कि जो लोग रोजाना घंटों तक रील देखते हैं, उनमें शुरुआती मायोपिया विकसित होने का खतरा अधिक होता है। वयस्क में भी नीली रोशनी के अधिक संपर्क से सिरदर्द, माइग्रेन और नींद की समस्या बढ़ रही है।